

## कार्यकारी सार

तलाशी और जब्ती छिपाई गई आय या धन को ढूंढने के लिए और कर अपवंचन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए आयकर विभाग के पास उपलब्ध एक शक्तिशाली तंत्र है जिससे काले धन के सृजन को कम किया जा सकता है। आयकर विभाग केवल उन मामलों में ही तलाशी और जब्ती का सहारा लेता है जहां इस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संबंधित व्यक्ति सामान्य रूप से रिटर्न फाईल करने में और नियमित निर्धारण में अपनी आय को सही रूप से नहीं दर्शाएगा।

हमारे द्वारा आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती निर्धारणों पर अग्रलिखित उद्देश्यों (i) ऐसे निर्धारण करते समय, अधिनियम/ नियमों/ परिपत्र/ निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा और प्रणालीगत कमी, यदि कोई है तो, इन निर्धारणों में इंगित करने के लिए भी; और (ii) तलाशी और जब्ती प्रचालनों के दौरान अघोषित आय के संबंध में निर्धारण किये जाने के दौरान जानकारी देने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों/विभाग के विभिन्न विंगों के साथ समन्वय में विभाग द्वारा किये गये प्रयासों की जांच करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) में वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे किये गये तलाशी निर्धारणों को शामिल किया गया। हमारे लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वि.व. 2014-15 से वि.व. 2017-18 की अवधि के दौरान कुल 1417 समूहों का निर्धारण किया गया। इस लेखापरीक्षा क्षेत्र में से 185 समूहों के नमूने लिए गए। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹1,71,503.78 करोड़ की निर्धारित आय वाले 24,869 निर्धारण रिकॉर्ड की जांच की। हमने ₹4150.02 करोड़ के कर प्रभाव वाले तलाशी निर्धारणों और शास्ति के गैर-उद्ग्रहण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट में अधिनियम में प्रावधान के अभाव, आयकर प्रावधानों की अननुपालना, तलाशी निर्धारितियों का गैर-केंद्रीयकरण, परिवर्धन करते हुए असमानता, की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन न किये जाने के संबंध में 1659 अभ्युक्तियाँ जारी की। इसके अतिरिक्त, हमने तलाशी निर्धारणों के दौरान किये गये परिवर्धनों की निरंतरता का भी विश्लेषण किया।

चूंकि हमने नमूने के अनुसार निर्धारण मामलों/ रिकॉर्ड की सीमित संख्या देखी, मंत्रालय को नमूने द्वारा कवर किये गये मामलों में ही नहीं, इस मामले की इसकी पूर्ण समग्रता से जांच करने की आवश्यकता है।

**निष्कर्षों का पैराग्राफ-वार सार नीचे दिया गया है:**

- लेखापरीक्षा में ऐसे मामले भी पाये गए जहां तलाशी निर्धारणों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों में खामियां/त्रुटियां थीं। ये खामियां मुख्यतः अधिनियम/नियमों में विशेष प्रावधानों के अभाव से संबंधित थीं।

(पैराग्राफ 2.4)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने निर्धारणों के लिए कुछ समूहों के संबंध में सभी मामलों का केंद्रीकरण नहीं किया जिसके कारण मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किये गये निर्धारितियों से संबंधित मामलों को निपटाया नहीं जा सका।

(पैराग्राफ 2.5)

- कुछ समूहों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारणों में किये गये 76.5 प्रतिशत परिवर्धन सीआईटी(अपील)/आईटीएटी के स्तर पर अपीलों में न्यायिक संवीक्षा की जांच में नहीं ठहरते। हमने ऐसे मामलों का अवलोकन भी किया जहां निर्धारण आदेशों में किये गये परिवर्धनों की संधारणीयता अपीलीय स्तर पर शून्य थी।

(पैराग्राफ 2.6)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले भी पाये जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए फर्जी खरीद, समायोजन प्रविष्टियों और निर्धारित आय/संशोधित आय के आंकड़ों को स्वीकृत करने के संबंध में परिवर्धन करने में समान कार्रवाई नहीं की। परिवर्धन केवल या तो एक मुख्य राशि पर या उचित न्यायसंगतता के बिना समान परिस्थितियों में पांच प्रतिशत से 50 प्रतिशत की भिन्न प्रतिशतता रेंज तक स्वेच्छा से किये गये थे।

(पैराग्राफ 2.7)

- लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी के निर्देशों/ आदेशों की अननुपालना के मामले जैसे डीजीआईटी (जांच) के निर्देशों के बावजूद उच्च न्यायालय में उचित मांग संग्रहण बिना और अपील फाईल न करते हुए अपील को अनुमत करने के मामले पाये। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले भी पाये जहां निर्धारण अधिकारी ने उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन बिना अधिनियम की धारा 271(1)(सी)/271एबी के अंतर्गत शास्ति कार्यवाही नहीं की।

(पैराग्राफ 2.8)

- लेखापरीक्षा ने कुछ मामलों का अवलोकन किया, जिसमें निर्धारण अधिकारी ने तलाशी के अंतर्गत प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की आय का निर्धारण नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.9)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों की जांच की जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुये शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया यद्यपि यह उद्ग्रहण था।

(पैराग्राफ 2.11)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों की जांच की जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए, अस्पष्टीकृत ऋण का आकलन नहीं किया, अधिनियम की धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अस्पष्ट क्रेडिट और उद्ग्रहित कर उद्ग्रहण के स्थान पर सामान्य प्रावधानों पर निर्धारण नहीं किया, लघु मांग की गणना की, निर्दिष्ट दर से कम दर पर प्रभारित कर, कम उद्ग्रहित ब्याज, उपप्रभार की संगणना की और छूट प्राप्त आय, अनुमत गलत मैट क्रेडिट आदि से संबंधित व्यय को अननुमत नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.12)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों की जांच की जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारण के दौरान प्रावधानों जैसे स्थानांतरण कीमत निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को मामलों को न भेजना, आईटी अधिनियम में सनदी लेखाकार द्वारा किये गये अपराध पर कार्रवाई, प्रविष्टि प्रदाता पर कार्रवाई में विलंब, आईटी रिटर्न फाइल किये बिना निर्धारण, निर्धारण आदेश पारित करने से पहले संयुक्त आयुक्त का पूर्व अनुमोदन नहीं लेना आदि का अनुपालन नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.13)

- लेखापरीक्षा ने निर्धारण अधिकारी के पास जब्त सामान के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट के सौंपने में एक महीने से 14 महीनों के बीच बिलंब पाया। जब्त किये गये सामान को सौंपने में असामान्य विलंब से निर्धारण के लिए कम समय मिल सकता है, निर्धारण जल्द पूरा करने के लिए मानवीय त्रुटि का अनुवर्ती जोखिम होता है; जिससे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

(पैराग्राफ 3.1.1)

- लेखापरीक्षा में ऐसे मामलें देखे गए जहां निर्धारण अधिकारी ने मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किये गये संव्यवहारों के स्रोत/सटीकता की जांच नहीं की और मूल्यांकन रिपोर्ट में सिफारिश की गई अघोषित आय को नहीं जोड़ा, मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किये गये प्रविष्टि प्रदाता से प्राप्त अप्रत्याभूत ऋण/ अग्रिम, संपूर्ण अघोषित आय का निर्धारण नहीं किया गया, टीडीएस के साक्ष्य के अभाव में निर्धारिती की आय में व्यय को नहीं जोड़ा गया था, तलाशी फोल्डर और सामग्री की प्राप्ति के बावजूद विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तथापि, विभाग को इन मामलों में आयकर विभाग के अन्य विंगों जैसे अन्वेषण विंग, टीडीएस सर्कल आदि के साथ सहयोग और निर्धारणों को अंतिम रूप देने से पहले मामलों का समाधान करना अपेक्षित था परंतु ऐसा नहीं किया।

(पैराग्राफ 3.1.2)

- लेखापरीक्षा में ऐसे मामलें देखे गए जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारितियों द्वारा स्वीकृत अघोषित आय में परिवर्धन नहीं किया या तलाशी के दौरान शपथ पत्र पर दिये गये बयान के आधार पर व्यय को अननुमत नहीं किया तथा अन्वेषण विंग के साथ मिलकर मामले का समाधान भी नहीं किया।

(पैराग्राफ 3.1.3)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले पाये जहां अन्य सरकारी एजेंसियों अर्थात् आरईआईसी और सीबीईसी ने आयकर विभाग के साथ सूचना साझा नहीं की। परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी या तो तलाशी निर्धारणों में या अपेक्षित जानकारी की जांच किए बिना अंतिम रूप दिये गये निर्धारण में आई समस्याओं जैसे उत्पाद शुल्क भुगतान के बिना स्टॉक को हटाना, बीजक/बिलों के बिना नकद खरीद और निवेश के स्रोतों की सटीकता आदि को नहीं सुलझा सका जो राजस्व हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हो सकते हैं।

(पैराग्राफ 3.2.1)

- लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पेपर कंपनियों के ऋणों के अग्रिम से संबंधित सूचना, पीएसआई सब्सिडी/विक्रय कर सब्सिडी का गलत दावा या तो प्रत्यक्ष रूप से या आरईआईसी द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों/ प्राधिकरणों के साथ आयकर विभाग के द्वारा साझा नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 3.2.2)

- लेखापरीक्षा ने कुछ समूहों में अवलोकन किया जहां जब्त सामग्री की विस्तृत एवं व्यवस्थित जांच के आधार पर कार्रवाई टिप्पणियां निर्धारण अधिकारी द्वारा तैयार नहीं की गई थीं। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि अलग विवरणात्मक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी और और सदस्य (अन्वेषण) को नहीं भेजी गई थी।

(पैराग्राफ 3.3)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलें भी पाये जिनमें यद्यपि भूमि/फ्लैट/वस्तुओं के विक्रेताओं से संबंधित सूचना, संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित की गई थी, जो संभावित निर्धारित हो सकते थे। तथापि, इस संबंध में विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग ने यह भी पुष्टि नहीं की कि क्या ये विक्रेता विभाग के कर दायरे में थे और नियमित रूप से रिटर्न फाइल कर रहे थे।

(पैराग्राफ 3.4)